



एपीडा  
APEDA

# वार्षिक लेखा 2019-2020



एपीडा  
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद  
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)  
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)





वार्षिक  
लेखा 20  
2019-



कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)  
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)








## विषय सूची

1. लेखा परीक्षा रिपोर्ट.....	5
2. 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र.....	9
3. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा.....	10
4. 31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची.....	11
5. 31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची.....	12
6. 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची .....	14
7. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे की अनुसूची.....	16
8. 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूह.....	20
9. समूह 6-31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में.....	23
10. 31 मार्च 2020 को आय और व्यय के भाग के रूप में समूहकरण.....	24
11. 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में परिवर्धित समूह .....	26
12. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा.....	28
13. विगत वित्तीय वर्ष (2018-19) की तुलना में वर्ष 2019-20 के गैर-नियोजित व्यय.....	30
14. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए लाभ समाधान विवरण .....	31
15. अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ.....	32
16. अनुसूची 18-आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ.....	35
17. एपीडा द्वारा अपनाए लेखांकन मापदण्डों की सूची .....	38
18. बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन	
- 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए विवरण.....	39
- 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय.....	40
- 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भुगतान और प्राप्ति विवरण.....	41
- 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों का विवरण और मूल्यहास.....	42
- अनुसूची-1: कॉर्पस फंड का विवरण.....	43





## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के खातों के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 18(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की संलग्न तुलन-पत्र की और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा /प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण एपीडा के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण और सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानदंडों और प्रकटन मानकों आदि के अनुपालन के लिए अपनाई गई लेखांकन कार्य विधि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ दी गई हैं। कानूनों, नियमों तथा विनियमों (मालिकाना तथा नियमितता) और दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के लिए वित्तीय लेन-देन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण में कोई उल्लेखनीय गलत विवरण तो नहीं दिया गया है। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि तथा प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना और वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार होती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - i. हमने वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से अनिवार्य थे।
  - ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं।
  - iii. हमारी राय में एपीडा ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 18(1) के अंतर्गत लेखों की उचित बही और अन्य संगत रिकॉर्ड रखे हैं जैसा कि हमारे द्वारा ऐसी खातों बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

## IV. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

## तुलन पत्र

वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 4): ₹ 22.43 करोड़

अन्य वर्तमान देनदारियां

तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय: ₹ 9.01 करोड़

**क.1)** एपीडा को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना के अंतर्गत निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता के रूप में वर्ष 2019-20 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से 5.40 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ। इस संबंध में, यह देखा गया कि:

- I. चूंकि उपरोक्त अनुदान किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त किए गए थे, इसलिए इसे "निर्धारित निधि" के रूप में मान्यता दी जानी थी और संबंधित व्यय (पूंजी और राजस्व दोनों) को वहां के लिए समायोजित किया जाना था। हालांकि, एपीडा ने अनुदानों के साथ-साथ आय और व्यय खाते में संबंधित व्यय को मान्यता दी है।
- II. गुवाहाटी में एपीडा के नए कार्यालय परिसरों के आंतरिक विकास के लिए वर्ष के दौरान उपरोक्त अनुदानों में से 70.44 लाख रुपये का व्यय किया गया था। हालांकि, चूंकि यह व्यय अनुदानों के अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, इसलिए इसे आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए था और इसे पूंजीगत कार्य की प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था।
- III. अनुदानों से जुड़े नियम और शर्तों में यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष के अंत तक अभ्यर्पित कर दिया जाएगा, जब तक कि अगले वर्ष के लिए समायोजित करने की अनुमति न दी जाए। इस प्रकार, 70.44 लाख रुपये की राशि मंत्रालय को वापस की जा सकती थी और इसे 'वर्तमान देनदारियों' के अंतर्गत मान्यता दी जा सकती है।

उपर्युक्त अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची 8) और अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय (अनुसूची 15) में 5.40 करोड़ रुपये का अतिकथन हुआ है। और वर्तमान देनदारियों और सीडब्ल्यूआईपी में 70.44 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ती हुई है। इसके अलावा निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3) के अंतर्गत होने वाले प्रकटन में भी कमी थी।

**क.2)** एपीडा ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को, अक्टूबर 2018 में अनुरोध किया था कि परिवहन सहायता (टीएएस) के दावों के निपटान जो कि लगभग 50 करोड़ रुपये था, 4.19 करोड़ रुपये एपीडा के आंतरिक निधि से और 45.81 करोड़ रुपये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अप्रयुक्त निधि से किया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (जनवरी 2019) ने एपीडा के अनुरोध को स्वीकार किया। हालांकि, एपीडा ने लंबित टीएएस दावों की मंजूरी के लिए 2018-19 के दौरान 'वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय प्रतिदेय' के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये की पूरी राशि अनुदान/सब्सिडी के अंतर्गत अंतरण कर दी।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत 'वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय प्रतिदेय' को न्यूनोक्ति किया गया है और कॉर्पस फंड को 4.19 करोड़ रुपये का अतिकथन किया गया है।



### ख. अनुदान सहायता

वर्ष 2018-19 के अंत में एपीडा के पास कोई अनुपयोगी अनुदान नहीं था। एपीडा ने वर्ष 2019-20 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से अलग-अलग शीर्ष के अंतर्गत 75.23 करोड़ रुपये (सामान्य: 68.24 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5.40 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति 1.25 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति 0.34 करोड़ रुपये) का अनुदान प्राप्त किया है। इसमें से एपीडा ने 73.64 करोड़ रुपये (सामान्य 68.24 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5.40 करोड़<sup>1</sup>) के उपयोग के बाद एपीडा ने अनुपयोगी शेष 1.59 करोड़ रुपये (अनुसूचित जाति 1.25 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति में 0.34 करोड़ रुपये) को मंत्रालय को पत्र दिनांकित 09.01.2020 के द्वारा शेष राशि का अभ्यर्पित किया है।

ग) जिन कमियों को इस अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।


(v) पिछले पैरों में हमारी टिप्पणियों के शर्ताधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण और लेखांकन नीतियाँ और लेखों के संबंधित में टिप्पणियाँ, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के शर्ताधीन रहते हुए, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसार एक सही तथा उचित ब्यौरा देते हैं।

(क) जहां तक यह 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की तुलन-पत्र और वित्तीय स्थिति से संबंधित है और

(ख) जहां तक यह 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अधिक राशि के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक  
के लिए और उनकी ओर से



(सी नेडून्चेलियन)

महानिदेशक लेखा परीक्षा  
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य)  
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 28 जनवरी 2021

1. क. 1 की टिप्पणी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुदान को 76.44 लाख रुपये तक का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया है। जिसका पृथक विवरण दिया गया है।



## आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वाणिज्य विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा वर्ष 2018-19 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, तथापि वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एपीडा के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं थी। और निम्नलिखित कमियों को देखते हुए सुधार की आवश्यकता है।

- (i) सामान्य वित्तीय नियमों (2017) के नियम 242(2) का उल्लंघन करते हुए एपीडा द्वारा उपलब्धि-सह-निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- (ii) एपीडा विनियमों के खंड 3(1) के अनुसार तीन बैठकों की आवश्यकता थी, जबकि दो बैठकों का ही आयोजन किया गया।

### 3. अचल संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्ति के अनुसार सभी मौजूदा परिसंपत्तियों के बजाय वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्ति के संबंध में केवल अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

### 4. इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

31 मार्च 2020 तक कोई इनवेंटरी नहीं है।

### 5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

एपीडा ने नियमित रूप से सांविधिक देयताओं का भुगतान किया है।




## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
<b>देयताएं</b>			
मूल/पूंजीगत निधि	1	1,608,705,427	1,552,091,028
आरक्षित और अधिशेष	2	12,567,726	15,775,435
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	224,263,614	161,144,087
<b>कुल</b>		<b>1,845,536,765</b>	<b>1,729,010,550</b>
<b>सम्पत्तियां</b>			
स्थायी सम्पत्तियां	5	102,428,792	113,173,412
निर्धारित/बंदोबस्त निधि में से निवेश	6	-	-
चालू सम्पत्तियां, ऋण अग्रिम आदि	7	1,743,107,972	1,615,837,137
<b>कुल</b>		<b>1,845,536,765</b>	<b>1,729,010,550</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

  
 एस एस नैय्यर  
 (महाप्रबंधक)

  
 समिधा गुप्ता  
 (उप-महाप्रबंधक)


## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
<b>आय</b>			
अनुदान / सब्सिडी	8	736,350,000	1,296,500,000
शुल्क / अंशदान	9	122,912,825	108,674,630
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	10	-	-
प्राप्त ब्याज	11	71,721,030	81,736,035
अन्य आय	12	64,070,690	86,880,179
विगत वर्ष की आय		-	9,883,155
<b>कुल (क)</b>		<b>995,054,544</b>	<b>1,583,673,999</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	13	126,287,383	122,389,510
अन्य प्रशासनिक व्यय	14	38,405,390	33,095,663
अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय	15	736,389,763	1,296,552,925
वित्तीय शुल्क	16	22,588	17,304
वर्ष के लिए मूल्यहास	5	10,710,852	12,145,572
विगत अवधि का व्यय		7,758,590	7,795,441
<b>कुल (ख)</b>		<b>919,574,567</b>	<b>1,471,996,415</b>
<b>मूल/पूंजी निधि में अंतरण व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय (क-ख)</b>		<b>75,479,978</b>	<b>111,677,584</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 1 – मूल/पूंजी निधि:

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
वर्ष के शुरू में शेष	1,552,091,028		1,430,323,231	
जमा: शुद्ध आय का शेष (आय एवं व्यय खाते से अंतरण)	75,479,978		111,677,584	
जमा: पूंजीगत व्यय, जो अब अपलिखित पूंजीकृत है।	-		-	
जमा/घटा: विगत वर्षों का समायेजन/प्रतिदाय प्रविष्टि (लेखों पर टिप्पणियों, अनुसूची 18, क्रम संख्या 7 देखें)	18,865,579	1,608,705,427	10,090,213	1,552,091,028
सामान्य आरक्षित निधि से अंतरण	-			-
वर्ष के अंत में शेष		1,608,705,427		1,552,091,028

अनुसूची 2- आरक्षित निधि और अधिशेष:

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. आरक्षित पूंजी :				
विगत लेखे के अनुसार	15,775,435		17,528,261	
घटा/जमा: समायोजन	1,352,510			
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	1,855,199		1,752,826	
	12,567,726		15,775,435	
(विवरण अनुसूची 5 में) आरक्षित पूंजी में से आईसीपी एमएस की कटौती	-	12,567,726	-	15,775,435
2. विशेष आरक्षित निधि				
विगत लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. सामान्य आरक्षित निधि				
विगत लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
पूंजी निधि में अंतरण	-		-	
कुल		12,567,726		15,775,435

एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण


31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 3 – निर्धारित/बंदोबस्त निधियाँ:

(राशि रुपये में)

निधि	निधिवार-विवरण			
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय निधि	गेहूँ विकास निधि	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. निधि का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
ख. निधि में परिवर्धन				
i. अनुदान/दान		-	-	-
ii. निधि से किए गए निवेश पर आय				-
iii. अन्य परिवर्धन		-	-	-
<b>कुल (क+ख)</b>	-	-	-	-
ग. लक्ष्य हेतु निधियों का उपयोग/व्यय				
i. पूंजीगत व्यय				
– स्थायी संपत्तियाँ	-	-	-	-
– परियोजनाओं हेतु दिए गए अनुदान	-	-	-	-
– वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदाय				-
<b>कुल</b>	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ता आदि	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-
<b>कुल</b>	-	-	-	-
<b>कुल (ग)</b>	-	-	-	-
<b>वर्ष के अन्त में निवल शेष (क+ख-ग)</b>	-	-	-	-

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



अनुसूची 4- चालू देनदारियां और प्रावधान


(राशि रुपये में)


	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
क. चालू देनदारियां				
1. स्वीकृतियां	-	-	-	-
2. देय दावे	-	-	-	-
3. सांविधिक देनदारियां				
क. अतिदेय	-	-	-	-
ख. अन्य	4,311,885		2,575,322	
4. अन्य चालू देनदारियां	120,145,951	124,457,836	73,981,059	76,556,381
<b>कुल (क)</b>		<b>124,457,836</b>		<b>76,556,381</b>
ख. प्रावधान				
1. उपदान		55,490,208		48,844,107
2. पट्टा किराए के लिए अन्य प्रावधान		181		181
3. संग्रहित अवकाश नकदीकरण		38,250,741		34,324,124
4. विद्युत		734,783		499,429
5. लेखा परीक्षा शुल्क		1,000,000		650,000
6. महंगाई भत्ता		269,865		269,865
6. वेतन		-		-
7. स्रोत पर काटा गया कर		4,060,000		-
<b>कुल (क)</b>		<b>99,805,778</b>		<b>84,587,706</b>
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>224,263,614</b>		<b>161,144,087</b>

अनुसूची 6-निर्धारित/बंदोबस्त निधियों से निवेश

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
पूर्वोत्तर क्षेत्र		-		
गैर बासमती चावल		-		
गेंहूं विकास निधि		-		
<b>कुल</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण


### 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची


#### अनुसूची 5-स्थायी सम्पत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	दर	सकल ब्लॉक				मूल्यहास			निवल ब्लॉक			
		01.04.2019 को लागत	30.09.2019 से पहले सम्पत्तियों के लिए परिवर्धन	30.09.2019 के बाद दौरेान कटौती के लिए परिवर्धन	2019-20 दौरेान कटौती	31.03.2020 को लागत	01.04.2019 तक मूल्यहास	वर्ष के दौरेान परिवर्धन	वर्ष के दौरेान कटौती/समायोजन	वर्ष के अंत में कुल	31.03.2020 को चालू वर्ष	31.03.2019 को विगत वर्ष
<b>भूमि और भवन:</b>	10%											
क. मुपत कब्जा प्राप्त भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टे पर भवन, दिल्ली*		228,040,676	-	-	-	228,040,676	90,021,547	3,801,913	-	193,823,460	34,217,216	38,019,129
ग. दिल्ली गेस्ट हाउस फ्लैट्स/परिसर		9,308,962	-	-	-	9,308,962	4,413,464	489,550	-	4,903,014	4,405,948	4,895,498
घ. गुवाहटी कार्यालय भवन		28,933,565	-	-	-	28,933,565	12,411,194	1,652,237	-	14,063,431	14,870,134	16,522,371
ङ. मुंबई कार्यालय भवन		9,071,000	-	-	-	9,071,000	7,709,492	136,151	-	7,845,643	1,225,357	1,361,508
च. बेंगलुरु कार्यालय भवन (अनुसूची 18, मूल निधि को देखें)		44,555,480	-	-	-	44,555,480	10,949,549	3,360,593	-	14,310,142	30,245,338	33,605,931
छ. पट्टे भूमि, मोदीपुरम		1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
संयंत्र मशीनरी और उपकरण	15%	17,388,188	-	314,323	-	17,702,511	9,397,124	1,245,808	-	10,642,932	7,059,579	7,991,064
वाहन	15%	3,238,253	-	-	15,000	3,223,253	2,628,511	89,211	-	2,717,722	505,531	609,742
फर्नीचर और फिक्सचर्स	10%	5,190,960	113,236	132,273	-	5,436,469	2,631,896	273,844	-	2,905,740	2,530,729	2,559,064
कार्यालय उपकरण	15%	19,162,702	243,350	518,003	-	19,924,055	12,284,245	1,107,121	-	13,391,366	6,532,689	6,878,457
कंप्यूटर का सहायक उपकरण	40%	19,604,025	71,578	443,668	-	20,119,271	19,041,353	342,434	-	19,383,787	735,484	562,672
सॉफ्टवेयर	40%	1,235,418	-	-	-	1,235,418	1,067,444	67,190	-	1,134,633	100,785	167,974
चालू वर्ष का कुल योग (क)		<b>385,729,230</b>	<b>428,164</b>	<b>1,408,267</b>	<b>15,000</b>	<b>387,550,661</b>	<b>272,555,819</b>	<b>12,566,051</b>	-	<b>285,121,870</b>	<b>102,428,792</b>	<b>113,173,412</b>
घटा: आरक्षित पूंजी से हास (10%)								1,855,199				
चालू वर्ष का कुल योग एपीडा (क-ख)		<b>385,729,230</b>	<b>428,164</b>	<b>1,408,267</b>	<b>15,000</b>	<b>387,550,661</b>	<b>272,555,819</b>	<b>10,710,852</b>	-	<b>285,121,870</b>	<b>102,428,792</b>	<b>113,173,412</b>
विगत वर्ष का कुल योग (ग)		<b>385,555,912</b>	<b>288,512</b>	<b>1,985,909</b>	<b>2,101,103</b>	<b>385,729,230</b>	<b>260,037,659</b>	<b>13,898,398</b>	<b>1,380,239</b>	<b>272,555,819</b>	<b>113,173,412</b>	<b>125,518,251</b>
घटा: आरक्षित पूंजी से हास								1,752,826				
विगत वर्ष का कुल योग (ग-घ)		<b>385,555,912</b>	<b>288,512</b>	<b>1,985,909</b>	<b>2,101,103</b>	<b>385,729,230</b>	<b>260,037,659</b>	<b>12,145,572</b>	<b>1,380,239</b>	<b>272,555,819</b>	<b>113,173,412</b>	<b>125,518,251</b>

\* 4.41 करोड़ रुपये का अनुदान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से वर्ष 2001-02 में भवन की खरीद के लिए पूंजी व्यय के रूप में प्राप्त हुए और उसे पहले ही पट्टे पर भवन में शामिल किया जा चुका है। इस प्रकार की अनुदान राशि को तब से आरक्षित मूल्य हास के रूप में आरक्षित पूंजी में प्रतिवर्ष समायोजित किया जाता है।

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



अनुसूची 7- चालू सम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. चालू सम्पत्तियां		
1. विविध देनदार (विवरण समूहीकरण 5 में हैं)	-	-
2. रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट आदि सहित) (विवरण समूहीकरण 1 में हैं)	12,381	10,912
3. बैंक शेष		
क. अनुसूचित बैंकों में: (विवरण समूहीकरण 6 में हैं)		
- चालू खातों में	449,382,290	445,123,859
- जमा खातों में (मार्जिन धन सहित)	1,211,592,577	1,024,476,040
- बचत खातों में	-	-
	1,660,974,867	1,469,599,899
	<b>1,660,987,247</b>	<b>1,469,610,810</b>
		(राशि रुपये में)
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पत्तियां		
1. ऋण:		
क. कर्मचारी (विवरण समूहीकरण 2 में हैं)	3,927,703	3,572,862
ख. इकाई के समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-	-
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	3,927,703	3,572,862
2. नकद में अथवा समान राशि में अथवा मूल्य में प्राप्त किए जाने वाली वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशि		
क. पूंजी खाते	-	-
ख. प्राप्य (विवरण समूहीकरण 3 में हैं)	44,271,934	105,817,780
ग. सुरक्षा जमा (विवरण समूहीकरण 4 में हैं)	2,746,693	2,746,693
	47,018,627	108,564,473
3. अर्जित आय		
क. (i) निर्धारित/बंदोबस्त निधि से निवेश	-	-
(ii) अन्य निवेशों पर	31,174,395	15,680,049
(iii) बीडीएफ और डब्ल्यूएफ की एफडी पर निवेश	31,174,395	18,408,943
34,088,992		
4. निधियों के लिए प्राप्त दावे	-	-
कुल (ख)	<b>82,120,725</b>	<b>146,226,326</b>
कुल (क+ख)	<b>1,743,107,972</b>	<b>1,615,837,137</b>

एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

### 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे की अनुसूची

#### अनुसूची 8- अनुदान/सब्सिडी

(स्थायी अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. केंद्र सरकार				
नियोजित व्यय (नीचे नोट-1 देखें)	736,350,000		1,296,500,000	
अनियोजित व्यय	-		-	
		736,350,000		1,296,500,000
2. राज्य सरकार (रैं)	-	-	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-	-	-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-	-	-
6. अन्य	-	-	-	-
कुल		736,350,000		1,296,500,000

#### अनुसूची 9- शुल्क/अंशदान

(राशि रुपये में)


	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. पंजीकरण शुल्क		43,755,051		42,366,166
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान		-		-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		-		-
4. परामर्श शुल्क		-		-
5. बासमती चावल के लिए अनुबंधों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क (आरसीएसी)		79,157,774		66,308,464
कुल		122,912,825		108,674,630

#### अनुसूची 10-रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
प्रकाशनों से आय			-	-
कुल		-		-

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



अनुसूची 11-प्राप्त ब्याज


(राशि रुपये में)


	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. सावधि जमाओं पर		
क. अनुसूचित बैंक में	71,630,133	81,409,613
ख. गैर-अनुसूचित बैंकों में		
ग. संस्थानों में		
घ. अन्य		
2. बचत खातों पर:		
क. अनुसूचित बैंकों में		
ख. गैर-अनुसूचित बैंकों में		
ग. डाकघर बचत खातों में		
घ. अन्य		
3. ऋणों पर:		
क. कर्मचारी/स्टाफ	90,897	326,422
ख. अन्य		
4. कर्जदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
<b>कुल</b>	<b>71,721,030</b>	<b>81,736,035</b>

अनुसूची 12- अन्य आय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. बिक्री/सम्पत्तियों के निपटान पर लाभ	-	(151,098)
क. स्वामित्व वाली सम्पत्तियां		
ख. अनुदान से प्राप्त अथवा निःशुल्क प्राप्त संपत्तियाँ		
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त राशि		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	64,070,690	87,031,277
4. विविध आय-		
क. बट्टे खाते में डाला गया व्यय	-	-
<b>कुल</b>	<b>64,070,690</b>	<b>86,880,179</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



अनुसूची 13-स्थापना व्यय


(राशि रुपये में)


	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. वेतन और पारिश्रम	62,560,717	62,678,152
ख. भत्ते और बोनस (विवरणों को समूहीकरण 7 में दिया गया है)	35,897,124	29,745,570
ग. भविष्यनिधि में योगदान	6,397,751	7,400,694
घ. अन्य निधियों में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ङ. कर्मचारी कल्याण व्यय	539,503	428,970
च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय और सेवा समाप्ति लाभ (विवरणों को समूहीकरण 8 में दिया गया है)	10,770,202	14,397,449
छ. प्रशासनिक शुल्क	10,009,176	7,643,852
ज. मानदेय	112,910	94,823
<b>कुल</b>	<b>126,287,383</b>	<b>122,389,510</b>

अनुसूची 14-अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. विद्युत और शक्ति	4,379,959	2,793,123
ख. बीमा	35,987	66,333
ग. मरम्मत और रखरखाव (विवरणों को समूहीकरण 9 में दिया गया है)	3,862,013	2,866,245
घ. किराया, दरें और कर	909,311	957,734
ङ. वाहन और उनका रखरखाव	-	-
च. डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क (विवरण समूहीकरण 10 में दिए गए हैं)	1,176,932	2,456,698
छ. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	2,169,333	2,250,428
ज. यात्रा और वाहन खर्च (विवरण समूहीकरण 11 में )	13,277,281	12,331,158
झ. अखबार व्यय	249,225	190,532
ञ. बैठक और शुल्कों पर व्यय	3,932,781	1,636,584
ट. ऑडिटर्स का मानदेय	350,000	350,000
ठ. कंप्यूटर का सामान	276,177	-
ड. कानूनी और व्यवसायिक शुल्क	3,231,415	1,181,255
ढ. फोटोकॉपी शुल्क	103,223	70,455
ण. वार्षिक अंशदान शुल्क	-	9,000
त. विज्ञापन व्यय	53,105	369,768
थ. विविध व्यय	636,823	589,867
द. कार्यालय व्यय	1,276,244	1,366,694
ध. अपलिखित आय	-	-
न. जांच शुल्क	2,469,941	3,111,249
प. स्वच्छ भारत अभियान पर व्यय	15,640	498,540
<b>कुल</b>	<b>38,405,390</b>	<b>33,095,663</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



अनुसूची 15-अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय


(राशि रुपये में)


	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी				
परिवहन सहायता	314,625,169		741,801,798	
अवसंरचना विकास	206,458,309		202,612,638	
बाजार विकास	131,819,356		220,968,432	
गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	29,467,727		66,980,874	
अनुसूचित जाति के लिए अनुदान	-		13,650,000	
पूर्वोत्तर विकास निधि (एनईआर)	54,019,202		50,539,183	1,296,552,925
<b>कुल</b>		<b>736,389,763</b>		<b>1,296,552,925</b>

अनुसूची 16-वित्तीय शुल्क

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
बैंक शुल्क		22,588		17,304
<b>कुल</b>		<b>22,588</b>		<b>17,304</b>

  
 एस एस नैय्यर  
 (महाप्रबंधक)

  
 समिधा गुप्ता  
 (उप-महाप्रबंधक)

## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूह

समूह 1-नकद शेष

(राशि रुपये में)


	चालू वर्ष	विगत वर्ष
गुवाहटी कार्यालय	521	521
दिल्ली	3,186	3,186
मुम्बई	508	159
बैंगलुरु	6,888	6,703
कोलकाता	-	-
हैदराबाद	1,278	343
<b>कुल</b>	<b>12,381</b>	<b>10,912</b>

समूह 2-कर्मचारियों को अग्रिम

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
यात्रा	13,093	(1,909)
हाउस बिल्डिंग	371,748	49,692
मोटर वाहन	38,607	(2,168)
कंप्यूटर	332,571	202,145
विविध	812,575	254,070
एलटीसी	296,363	272,707
मेडिकल	453,889	186,979
विदेशी विनिमय	1,608,857	2,611,346
<b>कुल</b>	<b>3,927,703</b>	<b>3,572,862</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

समूह 3-प्राप्य राशियां

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
टीडीएस-डब्लूडीएफ से कटौती	244,233	244,233
टीडीएस-एसटीडी से कटौती	10,685,642	10,685,642
टीडीएस प्राप्य (2017-18)	55,974	55,974
टीडीएस प्राप्य (2018-19)	6,558,756	6,558,756
टीडीएस प्राप्य (2019-20)	3,259,711	-
एफबीटी प्रतिदेय	25,949	25,949
एयर इंडिया से वसूली योग्य	17,786	17,786
प्रतिनिधि मण्डलों से वसूली योग्य	1,147,572	1,147,572
प्राप्त सेवा कर (2016-17)	7,914,349	7,886,655
लेक्स फूड्स लिमिटेड	90,457	90,457
लक्ष्मी नारायण यादव कट फलोवर डेकोरेटर	-	15,580
भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद	62,389	62,389
पीएम केयर फंड-कोविड 19	200,000	
देय वेतन अनुबंध	38,585	38,590
देय वेतन	54,319	60,137
आवासीय किराया	8,131	9,131
रिलयबेल फ्रेश	148,445	148,445
आईटीपीओ से प्राप्य	1,027,661	-
इंडियन एग्रो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	150,000	150,000
एरिया से प्राप्य	3,500,000	3,500,000
ईपीएफओ से प्राप्य	3,893,426	3,893,426
जीएसटी से प्राप्य	5,034,078	4,740,074
बीडीएफ से प्राप्य	-	66,211,033
प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड	31,857	31,857
डॉ. बीर सिंह नेगी	17,820	-
हल्दी राम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड	69,405	69,405
सिक्सथ पी. मार्केटिंग	-	139,300
बिकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	35,389	35,389
<b>कुल</b>	<b>44,271,934</b>	<b>105,817,780</b>



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)



समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



समूह 4-सुरक्षा जमा

(राशि रुपये में)


	चालू वर्ष	विगत वर्ष
टेलीफोन	367,554	367,554
टेलेक्स	55,900	55,900
डीएवीपी	210,000	210,000
अन्य-इस्टेट का एडी/बीएमएस डिविजन	32,505	32,505
पेट्रोल	51,881	51,881
सुरक्षा जमा प्राप्य	1,928,853	1,928,853
बीपीसीएल	100,000	100,000
<b>कुल</b>	<b>2,746,693</b>	<b>2,746,693</b>

समूह 5-विविध कर्जदार

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)




## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

समूह 6-31 मार्च 2020 को तुलन पत्र का भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

बैंक का नाम और स्थान	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
	चालू/बचत बैंक खाता में शेष	सावधि जमा	कुल राशि	चालू/बचत बैंक खाते में शेष	सावधि जमा	कुल राशि
केनरा बैंक, बेंगलुरु	1,326,637	-	1,326,637	1,000,722	-	1,000,722
केनरा बैंक, दिल्ली	266,510,649	549,581,248	816,091,897	93,268,763	532,456,880	625,725,643
केनरा बैंक, गुवाहाटी	710,773	-	710,773	268,907	-	268,907
केनरा बैंक, हैदराबाद	516,743	-	516,743	338,857	-	338,857
केनरा बैंक, मुंबई	1,989,484	-	1,989,484	52,941	-	52,941
इंडियन बैंक, दिल्ली	2,089,537	-	2,089,537	677,130	-	677,130
एचडीएफसी बैंक, दिल्ली	27,081,439	42,247,697	69,329,136	47,255,356	-	47,255,356
एचडीएफसी बैंक, हौज खास, दिल्ली	142,251,518	42,247,652	184,499,170	132,280,512	-	132,280,512
भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली	6,496,942	577,515,980	584,012,922	169,808,028	492,019,160	661,827,188
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता	408,566	-	408,566	172,642	-	172,642
<b>कुल</b>	<b>449,382,290</b>	<b>1,211,592,577</b>	<b>1,660,974,867</b>	<b>445,123,859</b>	<b>1,024,476,040</b>	<b>1,469,599,899</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

## कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

### 31 मार्च 2020 को आय और व्यय खाते के भाग के रूप में समूहकरण

#### समूह 7-भत्ते और बोनस

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
महंगाई भत्ता	9,395,005	5,207,998
अतिरिक्त समय भत्ता	36,771	28,116
अन्य भत्ते	13,406,301	13,657,512
अवकाश यात्रा भत्ता	654,674	1,409,676
परिवहन भत्ता	4,738,986	4,762,752
चिकित्सा भत्ता व्यय	5,962,467	3,478,344
बोनस (तदर्थ)	564,480	556,388
ट्यूशन फीस भत्ता	1,138,440	644,784
कुल	<b>35,897,124</b>	<b>29,745,570</b>

#### समूह 8-कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवासमाप्ति पर व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
उपदान	6,646,101	8,160,018
अवकाश नकदीकरण	4,124,101	6,237,431
कुल	<b>10,770,202</b>	<b>14,397,449</b>

#### समूह 9-मरम्मत और रखरखाव

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कार्यालय परिसर	1,702,129	1,216,973
कार्यालय उपकरण	1,299,360	1,026,695
कंप्यूटर और कंप्यूटर सहायक उपकरण	173,071	199,558
एपीडा गेस्ट हाउस, दिल्ली	29,570	61,297
स्टाफ कार	657,883	361,722
कुल	<b>3,862,013</b>	<b>2,866,245</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



समूह 10—डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क


(राशि रुपये में)


	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कार्यालय टेलीफोन शुल्क	897,890	2,143,532
आवसिक टेलीफोन शुल्क	80,793	23,863
डाक और कूरियर	198,249	289,303
कुल	<b>1,176,932</b>	<b>2,456,698</b>

समूह 11—यात्रा और वाहन

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
यात्रा किराया (घरेलू)	4,293,683	2,918,547
वाहन	1,706,163	1,650,088
दौरा और यात्रा व्यय	7,277,435	7,762,523
कुल	<b>13,277,281</b>	<b>12,331,158</b>

  
 एस एस नैय्यर  
 (महाप्रबंधक)

  
 समिधा गुप्ता  
 (उप-महाप्रबंधक)

## कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में परिवर्धित समूह

### 1. वेतन और पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
मूल वेतन	57,406,159	57,823,435
वेतन अनुबंध	5,154,558	4,854,717
<b>कुल</b>	<b>62,560,717</b>	<b>62,678,152</b>

### 2. सांविधिक देनदारियां

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान	1,641,003	718,042
कर्मचारियों का टीडीएस	875,550	840,774
अनुबंध पर टीडीएस	67,464	593,561
किराया टीडीएस	1,098,343	713,277
व्यवसायी टीडीएस	629,525	(290,332)
<b>कुल</b>	<b>4,311,885</b>	<b>2,575,322</b>

### 3. अन्य चालू देनदारियां

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अन्य विविध देनदार		
ईएमडी (जमा)	1,300,000	1,150,000
बीईडीएफ	22,984,242	-
कैटलिस्ट सोल्यूशंस	421,974	421,974
जीआईएस	32,411	32,212
राष्ट्रीय शूकर (सूअर) अनुसंधान केन्द्र	255,095	255,095
मैसर्स बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड	427,282	-
अथर्व इंटरनैशनल	748,719	-
वाची इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड	441,576	-
सोलर वाल पीटी युनि. ऑफ एग्री लेसर	158	158
व्यवसाय कर	-	5,800
लाइसेंस शुल्क	12,740	6,370
एलआईसी-एसएसएस	13,411	18,253
सिक्सथ पी. मार्केटिंग	176,070	-
ईएमडी-(एफएएसएआर) येस बैंक	100,000	-





अरविंद लिमिटेड	115,999	-
सीआई इन्फोटेक प्रा.लि.	420,682	-
काल्या फूड्स प्रा.लि.	-	941,000
ईएमडी- सिक्सथ पी मार्केटिंग	200,000	400,000
ईएमडी-फाल्कन प्रदर्शनी	200,000	
ईएमडी सेवंटी सेवन	236,000	200,000
एमडी इंटरप्राइजिज	-	1900.00
सरस्वती अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड	-	1944.00
एसकेपी विजन	-	69548.00
विशाल इंटरप्राइजिज	-	1640.00
आकवान इन्फो सॉल्युशन्स	-	33996.00
अन्य देनदारियां		
एपीडा कर्मचारी क्रेडिट एण्ड थ्रिपट सोसायटी	1,026,856	988,368
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदाय	90,086,704	68,964,315
सुरक्षा जमा देय	946,032	488,486
<b>कुल</b>	<b>120,145,951</b>	<b>73,981,059</b>

#### 4. विविध सेवाओं के लिए शुल्क

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
विविध प्राप्तियां	-	12,610
प्रत्यायन शुल्क	2,811,864	2,312,732
सामान्य प्राप्तियां	23,260,881	23,692,807
लैब मान्यता	300,000	168,000
मीट प्लांट	942,040	816,907
सूचना का अधिकार	530	270
चीनी (आयात)	1,802,418	246,937
निगरानी शुल्क	2,855,085	2,453,118
प्रक्रिया शुल्क	27,968,405	53,876,100
बासमती चावल का इरान को निर्यात	-	122,181
मूंगफली वन्यता पंजीकरण	-	4,615
एनपीओपी शुल्क	3,768,645	3,300,000
मूंगफली	110,822	-
एचएसीसीपी मान्यता शुल्क	250,000	25,000
<b>कुल</b>	<b>64,070,690</b>	<b>87,031,277</b>

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

### 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा


(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
<b>प्रारंभिक शेष</b>			<b>व्यय :</b>	-	-
रोकड़ शेष	10,912	13,214	स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	16,552,959	18,157,182
बैंक में शेष			बैंक प्रभार	22,588	17,304
चालू खातों में	445,123,859	276,270,907	<b>विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान</b>		
जमा खातों में	-	-			
बचत बैंक खातों में	-	-	परिवहन सहायता	314,625,169	741,801,798
			अवसंरचना का विकास	206,458,309	02,612,638
<b>प्राप्त अनुदान:</b>			बाजार विकास	131,819,356	220,968,432
भारत सरकार से			गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	29,467,727	66,980,874
नियोजित योजनाओं के लिए	736,350,000	1,296,500,000	अनुसूचित जाति सब्सिडी के लिए अनुदान	-	13,650,000
गैर-नियोजित योजनाओं के लिए	-	-	पूर्वोत्तर विकास निधि (एनईआर)	54,019,202	50,539,183
विशिष्ट निधियों के लिए (निर्धारित की गई)	-	-			-
विशिष्ट निधियों के लिए (पूजी सम्पत्तियां)	-	-			-
अन्य स्रोतों से (विशिष्ट पुष्प कृषि निधि)	-	-	निर्धारित/बंदोबस्त निधि में से	-	-
			चालू देनदारियों में कमी	117,060,226	68,376,727
निर्धारित/बंदोबस्त निधि निवेशों पर ब्याज			स्थायी सम्पत्तियों की खरीद	1,836,431	2,274,421
	-	-			
स्वाधिकृत की निधियां	-	-	विशिष्ट अनुदान/निधियों के लिए भुगतान		
<b>प्राप्त ब्याज</b>			अप्रयुक्त अनुदानों के लिए भुगतान	-	-
सावधि जमाओं सहित					
बैंक में जमाओं पर	7,543,856	20,875,592	<b>अन्य भुगतान:</b>		
ऋण और अग्रिम आदि	-	-	कर्मचारियों को अग्रिम/ऋण	784,234	4,777,001
			बकाया देनदारियों के लिए भुगतान	-	-
<b>आय</b>			अन्य जमा एवं चालू सम्पत्तियां	-	-
अनुबंधों पंजीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क	122,490,944	20,201,270	कटौती में भुगतान कर्मचारी/अन्य पक्ष	-	-
किराया प्राप्ति	-	-			-
बासमती चावल का निर्यात (पंजीकरण शुल्क)	-	-	व्यय (एमएआई अनुदान)	11,247,515	-
पंजीकरण शुल्क (आरसीएमसी)	44,021,311	42,434,766	अन्य भुगतान (देनदार)	-	-
प्रकाशनों की बिक्री	-	-	किए गए सावधि जमा	240,000,000	35,000,000

विविध प्राप्तियां	36,117,285	34,444,629			
पूर्व अवधि आय	-	-	सांविधिक देनदारियां:		
			सेवा कर	-	-
एपीडा समूह सेवानिवृत्ति (विविध देनदार)	-	-	टीडीएस	14,736,415	12,079,615
ऋण और अग्रिम			ईपीएफ	9,643,716	9,244,619
			जीएसटी	28,673,512	20,580,534
<b>परियोजना प्राप्तियां:</b>					
अवसंरचना विकास	-	-	कर्मचारी कल्याण पर व्यय-		
बाजार विकास	100,558,558	72,060,125	स्थायी कर्मचारियों को वेतन	62,909,754	61,443,372
अन्य (सेक्रेटरी स्पाइस से)	17,960,000	-	अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन	3,761,302	3,589,696
			कर्मचारी ऋण एवं थ्रिप्ट सोसायटी	3,793,019	2,664,101
<b>अन्य प्राप्तियां</b>					
ऋणों के लिए कर्मचारियों से प्राप्तियां	4,071,434	4,561,515	अन्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय	-	-
देनदारों से प्राप्तियां	69,328,111	61,872,176			
बीजी के आवाहन से प्रप्तियां	-	30,927,560	अंतिम शेष द्वारा		
पुराने अखबारों की बिक्री	-	-	रोकड़ शेष	12,381	10,912
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री	15,000	24,850	बैंकों में शेष		
ईएमडी (जमा)	550,000	600,000	चालू खातों में	449,382,290	45,123,859
अन्य जमा	-	-	जमा खातों में		
एमएआई अनुदान	14,409,904	-	बचत बैंक खातों में		
अन्य चालू देनदारियों में बढोतरी	-	-			
परिपक्व हो चुके सावधि जमा	98,254,932	719,105,664			
कर्मचारियों/अन्य पक्षों को देय में से कटौती	-	-			
<b>कुल</b>	<b>1,696,806,105</b>	<b>2,579,892,267</b>	<b>कुल</b>	<b>1,696,806,105</b>	<b>2,579,892,267</b>



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)




समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

## विगत वित्तीय वर्ष (2018-19) की तुलना में वर्ष 2019-20 के गैर नियोजित व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

व्यय मद	2018-19 के दौरान व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	प्रतिशत बढ़ोतरी/घटोतरी	बढ़ोतरी/घटोतरी के लिए कारण
भत्ता एवं बोनस	297.46	358.97	20.68	महंगाई भत्ते, चिकित्सा शुल्क और बोनस में बढ़ोतरी के कारण बढ़ोतरी
भविष्य निधि में योगदान	74.01	63.98	-13.56	कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों में कमी के कारण घटोतरी
कर्मचारी सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभों पर व्यय	143.97	107.70	-25.19	सेवानिवृत्ति लाभों में कमी और पिछले वर्षों में किए गए अधिक प्रावधान के कारण घटोतरी
विद्युत एवं शक्ति	27.93	43.80	56.82	बिजली की अधिक खपत के कारण बढ़ोतरी
मरम्मत एवं रखरखाव	28.66	38.62	34.75	सामान्य कार्यपद्धति के अनुसार मरम्मत शुल्क की उच्च लागत के कारण बढ़ोतरी हुई है
किराया, दरें और कर	9.58	9.09	-5.08	शुल्कों में कमी के कारण घटोतरी हुई है
डाक, दूरभाष एवं संचार शुल्क	24.57	11.77	-52.10	एपीडा और सरकार द्वारा उठाए गए मितव्ययिता के उपायों के कारण कमी आई है
यात्रा और वाहन	123.31	132.77	7.67	उच्चतर बाजार संवर्धन गतिविधियों के कारण बढ़ोतरी
अखबार, किताबें और पत्रिकाएं	1.91	2.49	30.48	अधिक पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने के कारण बढ़ोतरी हुई है
बैठक एवं भागीदारी शुल्क/प्रभारों पर व्यय	16.37	39.33	140.24	अधिक बाजार संवर्धन गतिविधियों के कारण बढ़ोतरी हुई है
कानूनी एवं वृत्तिक प्रभार	11.81	32.31	173.62	अधिक संख्या में कानूनी मामलों और वर्ष के दौरान ली गई राय के कारण बढ़ोतरी
<b>कुल</b>	<b>759.59</b>	<b>840.84</b>	<b>10.70</b>	

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए लाभ समाधान विवरण

(राशि रुपये में)

अनुसूची संख्या	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष	अंतर	चालू वर्ष में लाभ पर प्रभाव
8	अनुदान / सब्सिडी	736,350,000	1,296,500,000	(560,150,000)	कमी
9	शुल्क / अंशदान	122,912,825	108,674,630	14,238,195	बढोत्तरी
10	रायल्टी से आय	0	0	-	.
11	प्राप्त ब्याज	71,721,030	81,736,035	(10,015,005)	कमी
12	अन्य आय	64,070,690	86,880,179	(22,809,489)	कमी
13	स्थापना व्यय	126,287,383	122,389,510	(3,897,873)	बढोत्तरी
14	अन्य प्रशासनिक व्यय	38,405,390	33,095,663	(5,309,727)	कमी
15	अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय	736,389,763	1,296,552,925	560,163,162	बढोत्तरी
16	वित्तीय प्रशुल्क	22588.35	17303.75	(5,285)	कमी
	विगत अवधि की आय	-	9,883,155	(9,883,155)	कमी
	विगत अवधि का व्यय	7,758,590	7,795,441	36,851	बढोत्तरी
	मूल्यह्रास	10,710,852	12,145,572	1,434,720	बढोत्तरी
	लाभों पर शुद्ध प्रभाव			<b>(36,197,606)</b>	कमी
	लाभ और हानि खातों के अनुसार शुद्ध लाभ	<b>75,479,978</b>	<b>111,677,584</b>	<b>(36,197,605)</b>	कमी



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)



समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



## अनुसूची 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

### 1. लेखांकन सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और लेखांकन की संचय विधि पर।

#### राजस्व मान्यता

क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया गया है और उन्हें राजस्व आय माना गया है। वहाँ किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

ख) जमाओं पर ब्याज वृद्धि आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

ग) प्राप्त हुए पंजीकरण शुल्क को राजस्व आय के रूप में माना गया है।

### 2. इन्वेंटरी का मूल्यांकन

एपीडा न तो किसी उत्पादन संबंधी गतिविधि में शामिल है और न ही किसी व्यापार गतिविधि में और इसलिए इसे किसी स्टॉक के रिकॉर्ड को रखने की जरूरत नहीं है।

### 3. निवेश


सावधि जमाओं में निवेशों को समूहीकरण 6 के अंतर्गत बैंक शेष के रूप में दर्शाया गया है।

### 4. पुनःसमूहीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को बेहतर प्रस्तुति और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक पाया गया है।

### 5. स्थायी सम्पत्तियाँ

स्थायी सम्पत्तियों का विवरण अधिग्रहण लागत पर दिया गया है और इसमें आंतरिक भाड़ा, प्रशुल्क, कर और अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। निर्माण संबंधी परियोजनाओं में संचालन से पूर्व व्यय (जिसमें एक विशिष्ट परियोजना के पूर्ण होने से पहले उसके लिए लोन पर ब्याज शामिल है) पूंजीकृत सम्पत्ति के मूल्य का एक भाग है।



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)



समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)





वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों से अधिग्रहित की गई स्थायी सम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर पूंजीकृत किया गया है।

विशेष रूप से स्थायी सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजीकृत किया गया है और संबंधित राशि को आरक्षित पूंजी खाते में रखा गया है। इस प्रकार की स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास को लागू दरों पर प्रभारित किया जा रहा है और समान राशि को इस प्रकार की आरक्षित पूंजी में से कम कर दिया गया है।

## 6. मूल्यह्रास

आयकर अधिनियम 1961 में प्रदान की गई दरों के अनुसार मूल्य के आधार पर मूल्य ह्रास प्रदान किया गया है।

## 7. सरकारी अनुदान/सब्सिडी


सरकारी अनुदानों/सब्सिडी को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त सरकारी अनुदानों को निश्चित की गई निधि के अंतर्गत दर्शाया गया है संबंधित व्ययों को संबंधित निधि के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया है।


## 8. कोष/पूंजीगत निधि

वर्तमान वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय की कोई भी अतिरिक्त कोष/पूंजीगत निधि अंतरित की जाती है।

## 9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों को लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों पर लेखाबद्ध किया गया है। चालू सम्पत्तियों, विदेशी मुद्रा में कर्जों और चालू देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामस्वरूप होने वाले लाभों/हानियों को स्थायी सम्पत्तियों की लागत के साथ समायोजित किया गया है, यदि विदेशी मुद्रा देनदारी स्थायी सम्पत्ति से संबंधित है, और अन्य मामलों में इसे राजस्व माना गया है।

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

## 10. सेवानिवृति लाभ

सभी कर्मचारियों के लिए पूर्ण किए गए प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के आधार पर उपदान का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृति पर देय भविष्यनिधि का आकलन इस परिकल्पना के आधार पर किया गया है कि वर्ष के अंत में कर्मचारियों को पूर्ण राशि देय है।

संग्रहित अवकाश के बदले में कर्मचारियों को देय राशि के लिए प्रावधान का आकलन इस परिकल्पना के आधार पर किया गया है कि कर्मचारी यह लाभ वर्ष के अंत में लेने के हकदार हैं।

## 11. संचय और अधिशेष

इसमें आरक्षित पूंजी शामिल है जिसे पिछले वर्षों में प्लांट और मशीनरी को खरीदने और भवनों का निर्माण करने के लिए सृजित किया गया था।



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)



समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

## अनुसूची 18 आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

### 1. आकस्मिक देनदारियाँ

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अंगूर निर्यातको द्वारा मुआवजे की मांग करते हुए किए गए दावे—		
इकाई संबंधी दावे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं।	रु. 31.24 करोड़	रु.31.24 करोड़
निम्नलिखित के संबंध में—		
एपीडा द्वारा/की तरफ से दी गई बैंक गारंटी	शून्य	शून्य
एपीडा की ओर से बैंक द्वारा खाले गए साख पत्र		
बैंक में छूट दिए गए बिल	शून्य	शून्य
निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगः—		
आयकर/टीडीएस *	रु. 22.55 लाख	रु. 22.55 लाख
नगरपालिका कर	शून्य	शून्य
सेवा कर **	रु. 8.85 करोड़	रु. 8.85 करोड़
जीएसटी **	---	---
(*आयकर उपायुक्त के पत्र दिनांक 26.03.2019 के द्वारा से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 22,54,740 रुपये के लिए आयकर की मांग की गई थी।)		
(**विभागीय सेवा कर/जीएसटी प्रक्रिया के अंतर्गत है)		
गैर निष्पादन आदेशों के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे	शून्य	शून्य
जिन पर एपीडा द्वारा विवाद किया गया है		

### 2. पूंजी देनदारियाँ

अनुबंधों पर अनुमानित मूल्य जिसे पूंजी खाते में क्रियान्वित करना रहता है और जिसे प्रदान नहीं किया गया है (अग्रिम का शुद्ध मूल्य)

शून्य रुपये      शून्य रुपये

### 3. लीज की देनदारियाँ

प्लांट और मशीनों के लिए वित्तीय लीज के अंतर्गत किरायों के लिए भावी देनदारियाँ

शून्य रुपये      शून्य रुपये



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)



समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

#### 4. चालू सम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में चालू सम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्ति पर होगा, जो तुलन पत्र में दर्शाई गई समूचित राशि के समान होगा।

#### 5. कर


- क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29ए) के अंतर्गत एपीडा की आय को आयकर से छूट प्राप्त है और इसलिए आयकर का प्रावधान नहीं किया गया है।
- ख) विभागीय सेवा कर/जीएसटी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत है।
- ग) एपीडा ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नियमित आधार पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को संग्रहित और भुगतान किया है। वस्तु एवं सेवा कर विवरण को वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अनुसार फाइल किया गया है।
- घ) टीडीएस काटा गया है और केंद्र सरकार को इसका भुगतान किया गया है और इस वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस विवरण नियमित आधार पर फाइल किया गया है।

#### 6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

सी.आई.एफ. आधार पर आयातों का मूल्य	चालू वर्ष	विगत वर्ष
तैयार वस्तुएं की खरीद	रु. शून्य	रु. शून्य
कच्चा वस्तुएं और घटक (ट्रंससिट सहित)	रु. शून्य	रु. शून्य
प्रधान माल	रु. शून्य	रु. शून्य
स्टोर स्पेयर और खपत योग्य सामान	रु. शून्य	रु. शून्य

#### विदेशी मुद्रा में व्यय

वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज	रु. शून्य	रु. शून्य
अन्य व्यय:		
संवर्धन गतिविधियाँ (प्रतिनिधि)		
(प्रतिनिधि मंडलों का दौरा सहित विदेशी यात्रा)	रु. 5,59,24,071	रु. 3,23,05,558
विधिक और व्यवसायिक व्यय	रु. शून्य	रु. शून्य
पुस्तकें और साहित्य	रु. शून्य	रु. शून्य
अवसंरचना विकास, पूंजी परियोजनाएं	रु. शून्य	रु. शून्य

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)





आय:

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य

रु. शून्य

रु. शून्य

## 7. निधि/पूंजी निधि समायोजन-

शुद्ध राशि

रु. 1,88,65,579.14

रु. 1,00,90,213

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निधि/पूंजी निधि को निम्नलिखित राशियों द्वारा समायोजित किया गया है:

- एफडीआर पर 1,84,08,943.14 रुपये और 5,05,892.00 रुपये ब्याज है जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवश्यकता से अधिक आरक्षित किया गया है।
- 7,48,719.00 रुपये अथर्व इंटरनैशनल को देय है।
- 4,41,576.00 रुपये की राशि वाछी इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड को देय है।
- 4,27,282.00 रुपये की राशि बेक्टर्स फूड स्पेशियलिटीज लिमिटेड को देय है।
- 3,14,323.00 रुपये की राशि वर्ष के दौरान प्लांट और मशीनों पर अधिक ह्रास के रूप में प्रभारित की गई है।
- 13,52,510.00 रुपये की राशि को भवन और प्लांट तथा मशीनों के लिए आरक्षित पूंजी में समायोजित किया गया है।

## 8. पूर्व अवधि की आय

शून्य रुपये

रुपये 98,83,155/-

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्व अवधि की कोई आय नहीं है

## 9. पूर्व अवधि की व्यय

रु. 77,58,590/-

रु. 77,95,441/-

- रु. 40,60,000/- की टीडीएस राशि जो विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विभाग से प्राप्त होनी है। इस राशि का प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है और पिछली अवधि के व्यय खाते में स्थानांतरित किया गया है।
- रु. 36,98,590/- की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी के देरी से भुगतान पर ब्याज है। इसे भी पिछली अवधि के व्यय खाते में अंतरित किया गया है।

10. रु. 30,93,845/- मूल्य की संभावित पूंजी ब्याज के रूप में है जो तन्होडा (टीएनएचओडीए) से प्राप्त होनी है। चूंकि परियोजना मूर्त रूप में नहीं आ सकी और इस परियोजना की राशि को तन्होडा (टीएनएचओडीए) द्वारा वित्त पोषित किया गया था जिसमें 4 प्रतिशत की दर पर ब्याज शामिल है। लेकिन सीएजी ने 10 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की थी। इसलिए 30,93,845/- रुपये की राशि 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रतिनिधित्व करती है जो ब्याज दर के बीच अंतर है।

एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)

11. 300.23 लाख रुपये की राशि संभावित पूंजी के रूप में है जो स्पाइसिज बोर्ड से प्राप्त होनी है। परियोजना मूर्त रूप में नहीं आ सकी क्योंकि परियोजना की प्राप्तियों को समझौता ज्ञापन में उल्लेखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयोग कर लिया गया। पूरी परियोजना राशि को स्पाइसिज बोर्ड को रिफंड कर दिया गया। लेकिन देरी से भुगतान के कारण 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज की राशि 300.23 लाख रुपये स्पाइसिज बोर्ड से प्राप्त होने हैं।

## 12. चालू देनदारियाँ और प्रावधान:

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
लेखा परीक्षकों को मानदेय के लिए प्रावधान:		
लेखा-परीक्षा शुल्क (आईएएडी)	रु. 3,50,000	रु. 3,50,000

### एपीडा द्वारा अपनाए लेखांकन मापदण्डों की सूची:

ले. मा.-1	लेखा नितियों की घोषणा
ले.मा.-5	इस अवधि के लिए शुद्ध लाभ, पिछली अवधि के मद और लेखा नितियों में परिवर्तन
ले.मा.-6	मूल्यहास के लिए लेखांकन
ले.मा.-9	राजस्व की पहचान
ले.मा.-10	स्थायी सम्पत्तियों के लिए लेखांकन
ले.मा.-12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन
ले.मा.-15	कर्मचारियों को लाभ
ले.मा.-29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक सम्पत्तियां

  
एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक)

  
समिधा गुप्ता  
(उप-महाप्रबंधक)



## बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उपलब्धियां

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2020 तक राशि	31.03.2019 तक राशि
कॉर्पस निधि			
बासमती निर्यात विकास निधि से	I	29,15,00,762.97	9,59,52,881.90
कुल देयता		29,15,00,762.97	9,59,52,881.90
निधि आवेदन			
स्थायी परिसंपत्ति			
अनुसूचित संलग्न के अनुसार	II	3,64,12,838.33	3,74,40,573.96
वर्तमान परिसंपत्ति ऋण एवं अग्रिम			
वर्तमान परिसंपत्ति	III	25,24,70,835.64	5,80,42,187.47
ऋण एवं अग्रिम	IV	34,10,145.00	8,07,274.47
	(क)	25,58,80,980.64	5,88,49,461.94
वर्तमान देनदारियां			
अन्य वर्तमान देनदारियां	V	6,27,138.00	1,71,236.00
ऋण एवं अग्रिम देयता	VI	1,65,918.00	1,65,918.00
कुल वर्तमान देनदारियां	(ख)	7,93,056.00	3,37,154.00
निवल वर्तमान परिसंपत्ति	(क)-(ख)	25,50,87,924.64	5,85,12,307.94
कुल परिसंपत्ति		29,15,00,762.97	9,59,52,881.90
लेखा VII पर लेखा नीतियां और टिप्पणियां	VII		
यहां तक कि संलग्न तारीखों की हमारी रिपोर्ट के अनुसार			

के लिए और उनकी ओर से  
बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन

ए के गुप्ता  
(निदेशक, बीईडीएफ)

एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक, एपीडा)

## बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन

### 31 मार्च 2020 समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय

(राशि रुपये में)

व्यय	31.03.2020 तक राशि	31.03.2019 तक राशि	आय	31.03.2020 तक राशि	31.03.2019 तक राशि
<b>लैब और फार्म व्यय</b>					
प्रारंभिक स्टॉक	4,255,166.00	6,460,118.00	बीज, धान, चावल और गेहूं की बिक्री	21,344,046.00	7,048,256.00
ब्रीडर, उर्वरक की खरीद	4,439,863.00	2,636,258.00	डीएनए और गुणवत्ता परीक्षण शुल्क	9,071,816.00	1,906,321.00
डीएनए जाँच शुल्क	736,434.50	-	आईटी प्रतिदेय पर ब्याज	5,894.00	-
दूरभाष शुल्क	79,009.00	83,749.36	सावधि जमा पर ब्याज	13,070,013.00	1,243,313.00
श्रम शुल्क	1,115,601.00	986,799.00	बचत बैंक खाते पर ब्याज	158,055.00	39,548.00
मरम्मत और रखरखाव	2,239,522.00	2,407,715.00	विभिन्न प्राप्तियां	1,019,357.61	-
विद्युत् शुल्क	1,817,346.00	1,782,699.00	अंतिम स्टॉक	4,520,593.00	4,255,166.00
उपभोग्य वस्तुएं	7,049,221.00	6,471,492.00	आय से अधिक व्यय	315,954.52	27,093,197.00
पेट्रोल शुल्क	246,400.00	422,991.00			
कार्यालय शुल्क	452,497.00	325,898.00			
सुरक्षा शुल्क	1,863,078.00	1,700,049.00			
विज्ञापन शुल्क	399,263.00	62,542.00			
इंटरनेट शुल्क	203,550.00	212,400.00			
जुताई शुल्क	12,023.00	92,402.00			
कार्यशाला, प्रशिक्षण और संगोष्ठी	2,220,181.00	2,315,991.00			
प्रमाणन और सदस्यता शुल्क	564,040.00	162,805.70			
बाजार विकास	1,000,000.00	-			
<b>प्रशासन शुल्क</b>					
वेतन और भत्ते	12,135,848.00	12,248,142.00			
ईपीएफ अंशदान	224,024.00				
ईएसआई अंशदान	8,220.00				
यात्रा और वाहन	1,330,723.00	1,178,423.00			
चिकित्सा शुल्क	51,551.00	139,533.00			
बैठक शुल्क	4,000.00	114,758.60			
कार्यालय रखरखाव शुल्क	112,285.00	85,392.00			
बैंक प्रभार	55,204.00	6,446.00			
छपाई और स्टेशनरी	202,963.00	211,824.00			
व्यावसायिक परामर्श शुल्क	160,380.00	171,754.00			
स्थायी परिसंपत्तियां पर मूल्यहास	11,40,925.63	1,305,619.34			
कानूनी और प्रक्रिया शुल्क	5,386,411.00	-			
<b>कुल</b>	<b>49,505,729.13</b>	<b>41,585,801.00</b>	<b>कुल</b>	<b>49,505,729.13</b>	<b>41,585,801.00</b>

यहां तक कि संलग्न तारीखों की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और उनकी ओर से

बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन



ए के गुप्ता  
(निदेशक, बीईडीएफ)



एस एस नैयर  
(महाप्रबंधक, एपीडा)



## बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियाँ	31.03.2020 तक राशि	31.03.2019 तक राशि	भुगतान	31.03.2020 तक राशि	31.03.2019 तक राशि
प्रारम्भिक शेष			<b>लैब और फार्म व्यय</b>		
नकद	6,205.00	10,157.61	ब्रीडर, उर्वरक की खरीद	44,39,863.00	26,36,258.00
बैंक	2,66,53,350.87	11,89,998.41	दूरभाष शुल्क	79,009.00	83,749.45
सावधी जमा	2,68,71,466.16	11,44,009.00	श्रम शुल्क	11,15,601.00	9,86,799.00
			मरम्मत और रखरखाव	22,39,522.00	24,07,715.00
बीज, धान, चावल और गेहूँ की बिक्री	2,13,44,046.00	70,48,256.00	विद्युत् शुल्क	18,17,346.00	17,82,699.00
डीएनए और गुणवत्ता परीक्षण शुल्क	90,71,816.00	19,06,321.00	लैब उपभोग्यीय	70,49,221.00	64,71,492.00
सावधि जमा पर ब्याज	1,30,70,013.00	12,43,313.00	पेट्रोल शुल्क	2,46,400.00	4,22,991.00
आईटी प्रतिदेय पर ब्याज	5,894.00	-	कार्यालय शुल्क	4,52,497.00	3,25,898.00
बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,58,055.00	39,548.00	सुरक्षा शुल्क	18,63,078.00	17,00,049.00
विभिन्न प्राप्तियाँ	10,19,357.61	-	विज्ञापन शुल्क	3,99,263.00	62,542.00
एपीडा-बीडीएफ से प्राप्त	-	7,52,83,068.12	इंटरनेट शुल्क	2,03,550.00	2,12,400.00
पंजीकरण शुल्क (आरसीएसी)	1,76,49,820.00	-	जुताई शुल्क	12,023.00	92,402.00
बीडीएफ से प्राप्त निवल निधि	12,78,62,095.50	-	कार्यशाला, प्रशिक्षण और संगोष्ठी	22,20,181.00	23,15,991.00
			प्रमाणन और सदस्यता शुल्क	5,64,040.00	1,62,805.70
			बाजार विकास	10,00,000.00	-
			डीएनए जाँच शुल्क	7,36,434.50	-
			<b>प्रशासन शुल्क</b>		
			वेतन और भत्ते	1,21,35,848.00	1,18,68,243.00
			व्यावसायिक परामर्श शुल्क	1,60,380.00	1,71,754.00
			यात्रा और वहाँ व्यय	13,30,723.00	11,78,423.00
			बैठक का व्यय	4,000.00	1,14,758.60
			कार्यालय रखरखाव व्यय	1,12,285.00	85,392.00
			बैंक प्रभार	55,204.00	6,446.36
			छपाई और स्टेशनरी	2,02,963.00	2,11,824.00
			चिकित्सा व्यय	51,551.00	1,39,533.00
			टीडीएस का भुगतान	14,28,983.00	7,50,469.00
			कानूनी और प्रक्रिया शुल्क	53,86,411.00	-
			<b>पूँजी और अन्य व्यय</b>		
			कंप्यूटर	-	1,16,915.00
			संयंत्र और उपकरण	-	-
			लैब उपकरण	43,070.00	-
			विद्युत् उपकरण	70,120.00	-
			ऋण और अग्रिम -	-	-
			फर्नीचर और फिक्चर	-	26,100.00
			<b>अंतिम शेष</b>		
			नकद	5,362.61	6,205.00
			बैंक राशि	25,80,796.87	2,66,53,350.87
			सावधि जमा	19,59,03,968.16	2,68,71,466.16
<b>कुल</b>	<b>24,39,09,694.14</b>	<b>8,78,64,671.14</b>	<b>कुल</b>	<b>24,39,09,694.14</b>	<b>8,78,64,671.14</b>

के लिए और उनकी ओर से

बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन



ए के गुप्ता  
(निदेशक, बीडीएफ)



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक, एपीडा)

## बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन

### 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों का विवरण और मूल्यह्रास

क्रम संख्या	विवरण	मूल्यांकन की दर	सकल ब्लॉक एटी (एटीएस)		मूल्यांकन		निचल परिसंपत्तियाँ		
			31.03.2019 तक	180 दिनों से पहले संग्रह/ विक्रय	31.03.2019 तक	वर्ष के लिए	31.03.2019 तक कुल	31.03.2019 तक कुल	
1	स्थायी परिसंपत्तियों- कम्प्यूटर	40%	2567354.00		2466351.25	40401.10	2506752.35	60601.65	101002.75
2	स्थायी परिसंपत्ति- कार्यालय उपकरण	15%	4211353.00	2205.72	3517177.68	104457.16	3621634.83	589718.17	694175.32
3	स्थायी परिसंपत्तियों- फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	2668743.00		1516920.65	115182.23	1632102.89	1036640.39	1151822.62
4	स्थायी परिसंपत्तियों- प्लांट एंड मशीनरी	15%	1375599.00		1174351.88	30187.07	1204538.95	171060.05	201247.12
5	स्थायी परिसंपत्तियों- भूमि और भवन	-	29765667.00		-	-		29765667.00	29765667.00
6	स्थायी परिसंपत्तियों- विद्युत फिटिंग	10%	109148.00		98350.57	1079.74	99430.32	9717.69	10797.43
7	स्थायी परिसंपत्तियों- विद्युत उपकरण	15%	715433.00	70120.00	613095.82	31127.58	644223.40	141329.60	102337.18
8	स्थायी परिसंपत्तियों - प्रयोगशाला उपकरणों	15%	31867379.00	43070.00	26453844.00	818490.75	27272334.75	4638113.79	5413534.54
	<b>कुल</b>		<b>7,32,80,666.00</b>	<b>45,275.72</b>	<b>3,58,40,091.85</b>	<b>11,40,925.63</b>	<b>3,69,81,017.48</b>	<b>3,64,12,838.33</b>	<b>3,74,40,573.96</b>


(राशि रुपये में)

के लिए और उनकी ओर से

बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन



ए के गुप्ता  
(निदेशक, बीईडीएफ)



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक, एपीडा)



## बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन

### अनुसूची - I: कॉर्पस निधि का विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
<b>प्रारम्भिक शेष</b>	9,59,52,881.90	4,77,63,010.78
वर्ष के दौरान प्राप्त		
- एपीडा से वार्षिक अनुदान प्राप्त	4,06,34,062.00	2,00,00,000.00
- मशीन के लिए अनुदान	-	3,00,00,000.00
	13,65,86,943.90	5,00,00,000.00
बीडीएफ के समापन शेष का अंतरण	-	2,52,83,068.12
बीडीएफ से प्राप्त निवल निधि	15,52,29,773.59	
कम: वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय की अधिकता	3,15,954.52	2,70,93,197.00
जमा : वर्ष के दौरान अधिशेष	-	
	<b>29,15,00,762.97</b>	<b>9,59,52,881.90</b>

### अनुसूची - III: वर्तमान परिसम्पत्तियों का विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
रोकड़ शेष	5,362.61	6,205.00
बैंक में नकदी	25,80,796.87	2,66,53,350.87
केनरा बैंक में सावधि जमा	19,59,03,968.16	2,68,71,466.16
बैठक और कार्यशाला के लिए अग्रिम	2,50,000.00	-
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	-	1,06,118.44
अंतिम स्टॉक	45,20,593.00	42,55,166.00
टीडीएस अन्य की तुलना में ब्याज	1,74,646.00	1,49,881.00
वेतन प्राप्य पर टीडीएस	84,224.00	-
एपीडा - आरसीएसी (बीडीएफ) पर प्राप्य राशि	2,59,67,003.00	-
एपीडा - आरसीएसी (बीईडीएफ) पर प्राप्य राशि	2,29,84,242.00	-
	<b>25,24,70,835.64</b>	<b>5,80,42,187.47</b>

के लिए और उनकी ओर से  
बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन

ए के गुप्ता  
(निदेशक, बीईडीएफ)

एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक, एपीडा)

### अनुसूची - IV: नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य-ऋण और अग्रिम का विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए अग्रिम	1,65,676.00	3,78,118.00
गैस जमा	1,100.00	1,100.00
एसए एमआईएससी कैप्टन एस एस तेओतिया	1,504.00	-
टेलीफोन सुरक्षा जमा	5,000.00	2,000.00
बिजली सुरक्षा जमा	29,700.00	29,700.00
वित्तीय वर्ष 2019-20 में सावधि जमा पर टीडीएस	13,07,007.00	3,96,356.47
एपीडा (बीडीएफ) से प्राप्त एफडी पर टीडीएस	19,00,158.00	-
	<b>34,10,145.00</b>	<b>8,07,274.47</b>

### अनुसूची - V: अन्य वर्तमान देनदारियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
टीडीएस देय- वेतन	1,59,224.00	1,63,091.00
टीडीएस देय- ठेकेदार	4,014.00	3,596.00
टीडीएस देय- व्यावसायिक	1,48,032.00	1,808.00
विविध लेनदार	13,027.00	1,952.00
ईएसआई अंशदान	6,748.00	-
ईपीएफ अंशदान	2,95,304.00	-
बकाया व्यय	789.00	789.00
	<b>6,27,138.00</b>	<b>1,71,236.00</b>

### अनुसूची - VI: देय ऋण और अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बयाना पैसा	50,000.00	50,000.00
वेव स्पीअर गुलमोहर एन्क्लेव	1,15,918.00	1,15,918.00
	<b>1,65,918.00</b>	<b>1,65,918.00</b>

के लिए और उनकी ओर से  
बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन



ए के गुप्ता  
(निदेशक, बीडीएफ)



एस एस नैय्यर  
(महाप्रबंधक, एपीडा)







**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)  
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)**

पता: तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र  
अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली-110016

दूरभाष: 91-11-26513204, 26513219, 26514572, 26526196 • फैक्स: 91-11-26526187

ई-मेल: [headq@apeda.gov.in](mailto:headq@apeda.gov.in) • वेबसाइट: [www.apeda.gov.in](http://www.apeda.gov.in)